अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 22–40 / 2012–13

ज्योतसना कुमारी एवं अन्य – अपीलार्थीगण

वनाम

राज्य – रेश्पोण्डेन्टस्

–: आदेश :–

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थीगण द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 1530–1/ दिनांक 15.09.2012 अन्दर केस संख्या 06 / 2012–13 में पारित आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 22 / 2012 दायर किया गया है, जो स्थानान्तरित होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत अपीलवाद ऑगनबाड़ी केन्द्र, सहुरिया हरिजन टोला केन्द्र सं0–08 पंचायत–चानन से संबंधित है ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का सुक्ष्म अवलोकन किया ।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 1530–1 / दिनांक 15.09.2012 का अवलोकन किया जिसमें फिरदौस शेख बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सलखुआ द्वारा दिनांक 11.04.2012 को अपराहन् 12.45 बजे चानन अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र सहुरिया हरिजन टोला केन्द्र सं0–08 की जॉच की गई । जॉच के क्रम में ऑगनबाड़ी

केन्द्र संचालन में निम्नलिखित अनियमितताएँ /त्रुटियाँ पायी गयी :–

1. केन्द्र पूर्णतः बन्द पाया
2. ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका अनुपस्थित थी ।
3. केन्द्र पर एक भी बच्चे नहीं थे ।

ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में बरती गई अनियमितताएँ/त्रुटि के संबंध में अपीलकर्त्तागण/वादीगण को आदेश ज्ञापांक 721–1/ दिनांक 08.05.2012 द्वारा सुनवाई की तिथि निर्धारित कर स्पष्टीकरण समर्पित करने तथा उपस्थित होने की नोटिस दी गई । निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर अपीलार्थी संख्या 01 एव 02 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया व स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाते हुए चयनमुक्ति का आदेश दिया गया है।

अपीलार्थीगण के स्पष्टीकरण को इस न्यायालय में उल्लेख करते हुए अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में आपीलार्थी संख्या 01 एवं 02 पर लगाए गए आरोप संख्या 1,2,एवं 3 के संबंध में कथन करते हैं कि दिनांक 11.04.2012 को केन्द्र पर अपीलकर्त्ता नं0–01 एवं 02 उपस्थित थी , परन्तु दुर्भाग्यवश अचानक केन्द्र का एक बच्चा जिसका नाम गोलू कुमार पिता संतोष सादा अपराहन् 12.50 को उल्टी एवं लूज मोशन हो जाने के कारण अपीलार्थी नं0–01 उनके प्राथमिक उपचार में लग गई वो अपीलार्थी संख्या 02 के संबंध में भी विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि बच्चों को खाना देकर बीमार बच्चे के इलाज कराने में लग गई। अपीलार्थी संख्या 02 यह कथन करते हैं कि केन्द्र में बराबर अपना कार्य करती रही हैं । उक्त तिथि को बच्चों को भोजन देने के उपरांत बीमार बच्चे के इलाज करवाने हेतु केन्द्र से 15 मिनट पहले चली गयी व गोलू कुमार को बेहतर चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती करायी । आगे यह भी कथन करते हैं कि इस बीच केन्द्र में उपस्थित सभी बच्चे भोजन लेने के उपरांत घर चले गए ।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय द्वारा आरोपियों के विरूद्ध पारित चयनमुक्ति आदेश को निरस्त करने के लिए यह अपीलवाद इस न्यायालय में लाया गया है ।

सरकारी अधिवक्ता बहस के दौरान कथन करते है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सलखुआ द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में दिनांक 11.04.12 अपराहन् 12.45 बजे केन्द्र पूर्णतः बन्द पाया गया। अपीलार्थीगण के अनुपस्थित रहने एवं केन्द्र पर एक भी बच्चे नहीं रहने का

उल्लेख जॉच प्रतिवेदन में किया गया है । ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका द्वारा कहा गया है कि केन्द्र का एक बच्चा अचानक बीमार हो गया वो अन्ततः अस्पताल में भर्ती हो गया । अपीलार्थीगण द्वारा केन्द्र से अनुपस्थित रहने का कारण बच्चा की बीमारी बताया गया है जिसको अस्पताल में भर्त्ती किया गया, परन्तु चिकित्सा प्रमाण पत्र /साक्ष्य न ही निम्न न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया और न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। केन्द्र से एक साथ सेविका एवं सहायिका द्वारा अपने उच्चाधिकारी को सूचना दिए वगैर अनुपस्थित रहना सही नहीं प्रतीत होता है । ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं रहने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा चयनमुक्ति संबंधी पारित आदेश सही प्रतीत होता है ।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना । अपीलवाद के तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् पाया कि अपीलार्थीगण ने अपने अर्जी आवेदन के द्वारा बीमार बच्चे की इलाज हेतु अस्पताल में भर्त्ती होना बतलाया गया है परन्तु संबंधित साक्ष्य इस न्यायालय में उपलब्ध नहीं कराया गया है । अतएव न्यायालय के समक्ष उभरे तथ्यों के मद्देनजर रखते हुए इसकी जॉच एवं मामले की पुनः सुनवाई कर निम्न न्यायालय को समुचित निर्णय पारित करने हेतु **Remand** किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित ,

18/7/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

18/7/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।